

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक: 10 जून, 2025

पत्र संख्या:- 35/पैरा/कुष्ठ/09/2025/

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या:-1 9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम निम्नलिखित कुष्ठ संवर्ग के अन्तर्गत एन0एम0एस0 पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जीवन सिंह मनराल	एन.एम.एस.	सामु0स्वा0केन्द्र, काण्डा, बागेश्वर।	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र स सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 35/पैरा/कुष्ठ/09/2025/16329 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंह नगर।
- जिला कुष्ठ अधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिक)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक: 10 जून, 2025

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/कुष्ठ/09/2025/

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या:-1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कुष्ठ संवर्ग के अन्तर्गत एन0एम0एस0 पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जीवन सिंह मनराल	एन.एम.एस.	सामु0स्वा0केन्द्र, काण्डा, बागेश्वर।	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/कुष्ठ/09/2025/16329

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंह नगर।
- जिला कुष्ठ अधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)